

जिला कार्यालय
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर

क्रमांक :सू.प्रौ.वि./POSH Act/2026/912

दिनांक:- 31/08/2026

कार्यालय आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक F8(24)Doc/Gen/98/-00042 दिनांक 31.01.2025 की अनुपालना में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए The Sexual Harassment Of Women At workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 के अन्तर्गत कार्यालय में पूर्व में गठित समिति निरस्त कर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम व पद	समिति
1	श्रीमती प्रतिज्ञा चबरवाल, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	अध्यक्ष
2	श्री ललित कुमार, प्रोग्रामर	सदस्य
3	श्रीमती पूजा मोदी, सूचना सहायक	सदस्य

यह समिति कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/क्षतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।

(सत्यनारायण चौहान)

संयुक्त निदेशक

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर

क्रमांक :सू.प्रौ.वि./POSH Act/2026/913 - 920

दिनांक:- 31/08/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
3. प्रोग्रामर समस्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पंचायत समिति / नगरपालिका सीकर।
4. श्रीमती प्रतिज्ञा चबरवाल, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर।
5. श्री ललित कुमार, प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर।
6. श्रीमती पूजा मोदी, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर।
7. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर व अधीनस्थ कार्यालय के समस्त कार्मिकों को सूचनार्थ।
8. रक्षित प्रति।

संयुक्त निदेशक

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर